न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—43/20 (2020/00072) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—पन्नालाल पिता सोहन लुहार निवासी भेटवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—पेमा पिता सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—कैलाश पिता सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सुखलाल पिता सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—पारस पिता सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—जेठु पुत्री सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—लादी पुत्री सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—लाडु पुत्री सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—रूकमणी बैवा सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—दीपा पिता भुरा लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नाथु पिता लालु लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1—डालु पिता नाथु लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 12.01.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 944 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 945 रकबा 0.09 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 117 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी एवं नवीन नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में संज, बैल, गाड़ी, पैदल, ट्रेक्टर आदि से विपक्षी संख्या 1 व 2 की सामलाती आराजी संख्या 947 रकबा 0.20 है0 भूमि की उत्तरी दिशा में होकर आवागमन करते चले आ रहे है। विपक्षीगण ने रास्ते की भूमि को बाड़ेनुमा बनाकर उनके आवागमन का रास्ता बन्द कर दिया आराजी संख्या 947 के शेष रकबे पर भी बाड़े बना रखे है उक्त इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजियात में फसल काश्त करते रहे है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न नही किया तथा मौके पर विपक्षी ने स्वयं रास्ते हेतु जमीन छोड़ रखी है तथा शेष भूमि खाली होकर पथरीली होकर मंगरीनुमा है। विगत 2—3 वर्ष से विपक्षीगण ने बाड़ेनुमा बनाकर कच्ची चार[illegible] आवागमन के रास्ते को बन्द कर दिया तथा मौके पर छड़िया डालकर प्रार्थीगण को आम [illegible] में आवागमन करने हेतु रोक दिया है। मौके पर प्रार्थीगण के खेत बिना [illegible] है। प्रार्थी[illegible] के आवागमन करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] किया जाकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 947 रकबा 0.20 है भूमि किस्म [illegible] बाड़ जिसकी उत्तरी और [illegible]नुमा भूमि छोड़ते हुए पड़त बाड़े की भूमि पर 15 फीट चोड़ाई में रास्ता नियमानुसार डीएलसी राशि की दुगुनी राशि जमा करा उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ते दर्ज किये जाने का आदेश एवं रास्ते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:17 IST
Reason: SelfAttested

समायोजित भूमि की डीएलसी राशि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को नियमानुसार दिलाया जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.05.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 नाथु मृतक के बजाय डालु लुहार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया विपक्षी संख्या 3 फोरमल पक्षकार है। विपक्षी संख्या 2 ने अपने जवाब में अकंन किया कि प्रार्थीगण की आरायिजात संख्या 945, 944, 939 में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण संख्या 2 की आराजी संख्या 947 में नही होकर विपक्षीगण की शामलाती आराजी संख्या 949 के कुएं के फैरे के पास बना हुआ है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन करते है। इसके अलावा सरकारी रास्ते आराजी संख्या 938 में होकर जाता है। प्रार्थीगण वर्षो से आवागमन कर रहे है। यदि प्रार्थीगण अपनी आराजियात में कुएं के फैरे से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 949 में होकर उनके खेत में जाने वाले विद्यमान रास्ते को बिलानाम नही कराने चाहते तो आराजी संख्या 949 की उत्तरी पाली पर 15 फीट रास्ता लेना चाहे तो इसमें विपक्षीगण को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की आराजी के बीचोबीच रास्ता बताया जा रहा है वहां मंगरी तथा विपक्षी का मकान व बाड़ा बना हुआ है तथा शेष भूमि 20 वर्ष पूर्व विक्रय कर दी गई है। प्रार्थीगण द्वारा झुठां प्रार्थना पत्र पेश किया जो सव्वय खारीज फरमाया जावे। विकल्प के रूप में निवेदन है कि प्रार्थीगण चाहे तो विपक्षी की शामलाती आराजी संख्या 949 की दक्षिणी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में अपनी आराजी में आवागमन के लिये रास्ता चाहे तो डीएलसी दर के बजाय बाजार दर पर देने के लिये तैयार है। तहसीलदार साहब रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय विपक्षी संख्या 2 को कोई सूचना नही दी तथा मौके पर दो वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी विपक्षीगण की आराजी संख्या 947 के बीचोंबीच रास्ता अंकित कर दिया जिससे भूमि बेकार हो जायेगी जिससे दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर वैकल्पिक रास्ता रेकार्ड पर लाया जाना न्यायोचित है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि मौके पर 2 रास्ते वैकल्पिक रूप से मौजुद है एवं विकल्प में निवेदन किया कि विपक्षीगण की शामलाती आराजी संख्या 949 की दक्षिणी पाली से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन का रास्ता बिलानाम कराना चाहते है तो इसके लिये विपक्षीगण बाजार दर पर रास्ता देने में सहमत है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम भटेवर की सीमा में प्रार्थीगण के नाम आराजी नम्बर 944 रकबा 0.08 है0 आराजी संख्या 945 रकबा 0.09 है0 दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात के चारो तरफ खातेदारिया भूमियां स्थित है। उक्त आराजी के समीप विपक्षीगण की आराजी नम्बर 947 मे से होकर आते जाते रहे है। आराजी नम्बर 947 रकबा 0.20 है0 मे से प्रार्थीगण द्वारा 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है आराजी नम्बर 947 का रकबा 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित रास्ते में आती है। ग्राम भटेवर की असिचिंत भूमि की डीएलसी दर 56754 रूपये प्रति बीघा है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि 2627 रूपये की दुगुनी राशि 5254 रूपये बनती है। वर्तमान में चालु बिलानाम रास्ते को बल्यू स्याही व प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 944 व 945 के आवागमन हेतु आराजी [illegible] मे से प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति की गई और बहस में निवेदन किया कि कुएं के पास होकर प्रार्थीगण खातेदारी भूमि आवागमन कर सकता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति पर बहस में मुख्य कथन किया कि विपक्षी द्वारा जो कुंए के पास या जवाब में जहां भूमि रास्ता हेतु दर्शायी गई है वह काफी पहाड़ीनुमा होने से प्रार्थीगण की जमीन नीचे होन से करीब 10 से 15 फीट गहरी है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:17 IST
Reason: SelfAttested

आवागमन नही किया जा सकता है और कुंए के पास भी जमीन पहाड़ीनुमा है जहां से बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि नही जा सकते है।

इसी के साथ मूल प्रार्थना पत्र पर भी बहस सुनी गई जिसमें प्रार्थी अधिवकता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया गया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा जो आवेदन पत्र किया जो गलत तथ्यो पर पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने से पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौके पर कोई रास्ता नही है और विपक्षी अधिवक्ता की आपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर पाया कि विपक्षी द्वारा जहां कुएं के पास होकर रास्ता जाने का जो कथन किया है वो गलत है एवं आराजी संख्या 947 की उत्तरी सीमा पर रास्ता दिये जाने हेतु कहा गया किन्तु उक्त भूमि पहाड़ीनुमा होने से रास्ता दिया जाना उचित नही है। प्रार्थीगण कुएं के पास से भी वर्तमान में बैलगाड़ी या ट्रेक्टर लेकर अपनी खातेदारी भूमि में नही जा सकता है चूंकि कुंए के पास भी जमीन काफी उंची है तथा प्रार्थीगण की जमीन करीबन 5 से 6 फीट नीचे गहरी है जो एकदम खड्डेनुमा है। इसके साथ ही प्रार्थीगण जहां रास्ता चाहता है वहां मौके अनुसार समतल भूमि है जहां से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आराम से आवागमन कर सकता है विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो अपने जवाब में अंकन किया कि विपक्षी क्रमांक 2 की ओर से भूमि विक्रय कर दी गई है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। अगर भूमि विक्रय कर भी दी गई हो तो भी रास्ते हेतु किसी भी खातेदार से भूमि ली जा सकती है। वर्तमान में भी संयुक्त खातेदारी भूमि मे है और प्रार्थीगण को दोनो खातेदारो की भूमि के मध्य 15 फीट के बजाय 12 फीट रास्ता जो मौके पर 6 फीट विपक्षी क्रमांक 1 व 6 फीट विपक्षी क्रमांक 2 की ओर से दिया जाना उचित है जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजी में सुविधाजनक आवागमन कर सके।

उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भटेवर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 947 रकबा 0.20 है0 मे से 12 फीट चौडाई में दोनो खातेदारो की भूमि के मध्य 12 फीट रास्ता जो मौके पर 6 फीट विपक्षी क्रमांक 1 व 6 फीट विपक्षी क्रमांक 2 की ओर से दिया जाना जाता है जिसका रकबा 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित रास्ते में आती है। ग्राम भटेवर की असिचिंत भूमि की डीएलसी दर 56754 रूपये प्रति बीघा है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि 2627 रूपये की दुगुनी राशि 5254 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भु[illegible] रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसील[illegible] को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.0[illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:17 IST
Reason: SelfAttested

12.1.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—43/20 (2020/00072) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—पन्नालाल पिता सोहन लुहार निवासी भेटवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—पेमा पिता सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—कैलाश पिता सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सुखलाल पिता सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—पारस पिता सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—जेठु पुत्री सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—लादी पुत्री सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—लाडु पुत्री सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—रूकमणी बैवा सोहन लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—दीपा पिता भुरा लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नाथु पिता लालु लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1—डालु पिता नाथु लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भटेवर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 947 रकबा 0.20 है0 मे से 12 फीट चौडाई में दोनो खातेदारो की भूमि के मध्य 12 फीट रास्ता जो मौके पर 6 फीट विपक्षी क्रमांक 1 व 6 फीट विपक्षी क्रमांक 2 की ओर से दिया जाना जाता है जिसका रकबा 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित रास्ते में आती है। ग्राम भटेवर की असिचिंत भूमि की डीएलसी दर 56754 रूपये प्रति बीघा है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि 2627 रूपये की दुगुनी राशि 5254 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गै[illegible] दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:17 IST
Reason: SelfAttested

12.1.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा